तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका... हुक्म की... में जारी हुए
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम बिश्नोई ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट के इंतजार में आईन्दा दिनांक 21/06/2024 को पेश हो।	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 4/7/24 को पेश हो।	
04/07/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 22/07/24 को पेश हो।	
22/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार सेड़वा से रास्ते से संबंधित मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षकारान ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अति आवश्यकता है। अतः रास्ते से संबंधित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्र सिंह आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 438/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' रा.का.अधि.

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. जयराम पुत्र भूराराम 2. रतनाराम पुत्र भूराराम, जाति–जाट, निवासी–हुड्डानगर, भाडा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. धर्माराम पुत्र भूराराम, 2. विरधाराम पुत्र भूराराम, जातियान–जाट, निवासीगण–हुड्डानगर भाडा, तहसील–सेड़वा, जिला–बाडमेर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– करनाराम कड़वासरा
वकील विप्रार्थीगण:– श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक 22.07.2024

प्रार्थीगण धर्माराम पुत्र भूराराम, विरधाराम पुत्र भूराराम, जातियान–जाट, निवासीगण–हुड्डानगर, भाडा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण काश्तकार है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 315/119 रकबा 9.1054 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मौजा हुड्डानगरा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणियां, टांके व मवेषियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणी पर आने जाने हेतु विप्रार्थी सं. 01 व 02 के खेत खसरा संख्या 316/119 रकबा 4.4677 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से आगे सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है। जिसका उपयोग प्रार्थीनी वर्षों से करते आ रहे है तथा एक मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करनें व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ता हुड्डानगर से बाखासर नवातला जाने वाली पक्की डामर सडक को जोड़ता है। खसरा नम्बर 316/119 के पश्चिम दिशा में धोरा है, जिससे पूर्व दिशा में सेढे–सेढे रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। अभी चलने से मना कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण की ओर से से वकील श्रीराम विश्नोई नें वकालतनामा मय जवाब पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सेड़वा के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1890 दिनांक 25.06.2024 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील विप्रार्थी संख्या 1, 2 नें आपत्ति जताई। तथा कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा हमारे खेत मौजा–हुड्डानगर के खसरा नम्बर 316/119 में से रास्ते की मांग की है, उक्त रास्ता हमारे खेत में से समतल एवं उपजाऊ भूमि की जोत कम करनें की नियत से निकटतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध होते हुए भी जानबुझकर मांग की गई है, जबकि हमारे खेत खसरा नम्बर 316/119 के पश्चिम दिशा में निकटतम रास्ता प्रार्थीगण के लिए उपलब्ध है, और उक्त स्थान से रास्ता दिया जाता है तो हम प्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा निकटतम रास्ते का विकल्प उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रास्ते की मांग की गई जिससे विप्रार्थीगण को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिये विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ'के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण का दिया जाता है तो विप्रार्थीगण को भी कम नुकसान होगा और प्रार्थीगण को रास्ते से जोडा जा सकेगा। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' के अनुसार रास्ता प्रार्थीगण को देने के लिए सहमत है। प्रार्थी वकील ने कथन किया कि तहसीलदार सेडवा से रास्ते संबधी मौका रिपोर्ट आई है उसका अवलोकन फरमावें जिससे स्पष्टहोता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और सुविधा जनक रास्ता है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 316/119 के पश्चिम दिशा में दूरी अधिक होने व अधिक धोरा होने से आवागमन योग्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के प्रावधानों में स्पष्ट है कि जहां से निकटतम रास्ता हो वहां से रास्ता दिया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और सुविधा जनक रास्ता है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 316/119 के पश्चिम दिशा में दूरी अधिक होने व अधिक धोरा होने से आवागमन योग्य नही है।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंषिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी द्वारा रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्षाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काष्तकारी (सरकारी/संषोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राषि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राषि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राषि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राषि देय होगी।

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवष्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (इ) राजस्थान काष्तकारी संषोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंषिक नक्षा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंषिक नक्शा ट्रेस में दर्षाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीनी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

जावेगी।

4. नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीनी को उक्त चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 22.07.25 को सेड़वा में आदेष किया जाता है। मौका फर्द मय नक्षा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(विरेन्द्रसिंह II)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा